

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-20/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० सोनाली श्री, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (प्रसव एवं स्त्री रोग), राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के दिनांक-06.03.2023 से 14.05.2023 तक एवं दिनांक-01.05.2026 से 27.10.2026 तक उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-907(25) दिनांक-28.04.2026 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-06.03.2023 से 14.05.2023 तक	-	कुल-70 (सत्तर) दिन दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-01.05.2026 से 27.10.2026 तक	-	कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-20/2026- 16624(2) पटना, दिनांक 20/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा /कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० सोनाली श्री, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (प्रसव एवं स्त्री रोग), राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/26
सरकार के उप सचिव।